नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(CIN: U10200WB1906GOI001713)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : **3,** मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता – **700 071**

दूरभाष संख्या **033-2283-1717, Fax No. 033-2283-1717/1712**

वेबसाइट : **www.nationalinsuranceindia.com**

असाधारण आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता 700 071 में शुक्रवार, 3 मार्च, 2017 3.00 बजे निम्नलिखित **विशेष व्यापार** हेतु आयोजित किया जाएगा:

प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर डिबेंचर जारी करने को मंजूरी हेतु।

निम्नलिखित संकल्प एक विशेष संकल्प के रूप में संशोधन या उचित पाये जाने पर बिना संशोधन के पारित करने के लिए विचार :

निर्णय लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (कोई भी वैधानिक संशोधन (ओं) या पुनः अधिनियमन शामिल) व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के जारी व लिस्टिंग) विनियम, 2008, बीमा अधिनियम, 1938 , (समय-समय पर संशोधित रूप में), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत के (पूंजी के अन्य रूप), विनियम, 2015, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, लागू नियमों और दिशा निर्देशों, कंपनी मेमोरेंडम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन व इस तरह के अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और दिशा निर्देशों, आवश्यक अनुमोदन, अनुमतियाँ, सहमति के अधीन कम्पनी के निदेशक मंडल (बाद में "बोर्ड" कहा जाता है) को सदस्यों द्वारा असुरक्षित, सूचीबद्ध और / या अनलिस्टेड, प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, सबोर्डिनेट डिबेंचर शामिल परन्तु उस तक सीमित नहीं, बॉण्ड और / या अन्य ऋण प्रतिभूतियों को पेशकश, जारी और आवंटन, एक प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर, एक या एक से अधिक चरणों में रूपये 895 करोड़ (रुपए आठ सौ पंचानबे करोड़) तक जारी करने की स्वीकृति दी जाती है।

शीना भाटिया

आगे निर्णय लिया जाता है कि असुरक्षित गैर परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी भी निजी तौर पर शेअर आबंटन को स्थान देने पर, बोर्ड अथवा बोर्ड कि किसी भी विधिवत गठित समिति अथवा अन्य किसी प्राधिकारी, जैसाकि बोर्ड द्वारा निर्गम की शर्तों के लिए अनुमोदित किया गया हो, निवेशकों के वर्ग सहित, जिसे बांड/डिबेंचर आबंटित किये जा रहे हैं, बांडों/डिबेंचरों की प्रत्येक श्रंखला में संख्या सहित, जारी करने के समय मूल्य, निर्गम का आकार, समय, कूपन/ब्याज दर, प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, सूचीकरण, कोई भी घोषणा/वचन देना, एवं ऐसे सभी नियामक आवश्यक्तायों के तहत सभी प्रकार के कार्यों, करारों एवं अन्य जिसे निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल किया जाना हो|

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
रीना माडिया
रीना माडिया
कम्पनी सचिव

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 24 फरवरी, 2017

नोट :

1. एक सदस्य, जोकि अतिरिक्त साधारण बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हक़दार है, किसी दूसरे व्यक्ति, चाहे वह सदस्य है अथवा नहीं, को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए नियुक्त करने का हक़दार है |

2. ऐसा कोई भी अधिकार पत्र, जिसमें किसी प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया हो, बैठक के समय से 48 घंटे पूर्व, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जा सकता है |

3. कम्पनी अधिनियम 2013, के खंड 102 के अनुसार सम्बंधित प्रावधान का विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है |

<u>सूचना के साथ अनुलग्नक</u>

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 का अनुवर्ती व्याख्यात्मक विवरण

निजी प्लेसमेंट के आधार पर डिबेंचर जारी करने की मंजूरी के लिए :

कम्पनी अधिनियम, 2013 का खंड 42, कम्पनी (सूचीपत्र एवं प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के साथ पढ़ते हुए, निजी तौर पर प्रतिभूतियों के प्लेसमेंट से सम्बंधित है |

(सूचीपत्र एवं प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के अनुसार कोई कम्पनी अगर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूतियों का आबंटन करना चाहती है तो उसे अपने शेअर धारकों से विशेष प्रस्ताव से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी |

मात्र सोल्वैन्सी मार्जिन को ठीक करने ही नहीं अपितु व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूँजी की व्यवस्था करने के लिए, कम्पनी चाहे तो विभिन्न प्रतिभूतियों को जारी कर सकती है जिनमें असुरक्षित,सूचीबद्ध/गैर सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और/या ऋण उपकरणों और / या अन्य ऋण प्रतिभूतियों या किसी कार्पोरेट बांड का किसी कार्पोरेट, संस्था को निजी प्लेसमेंट के आधार पर किसी भी प्रकार, अंश, प्रस्ताव के पारित होने के एक वर्ष के भीतर, रु.895 करोड़ (कम्पनी की कुल उधारी सीमा) के भीतर जारी कर सकती है |

कोई भी निदेशक अथवा कोई भी उच्च प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनका कोई रिश्तेदार, इस प्रस्ताव के साथ किसी भी प्रकार से, वित्तीय अथवा अन्य प्रकार से सम्बंधित नहीं है |

बोर्ड इस प्रस्ताव को सदस्यों के सामने विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन के लिए अनुशंसा करता है |

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,

रीना माडिया

रीना माडिया
कम्पनी सचिव

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 24 फरवरी, 2017

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

National Insurance Company Limited
(CIN: U10200WB1906GOI001713)
Registered & Head Office: 3, Middleton Street, Kolkata – 700 071
Telephone No. 033-2283-1717, Fax No. 033-2283-1717/1712
Website: www.nationalinsuranceindia.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra-ordinary General Meeting of the Members of National Insurance Company Limited will be held on Friday, 3rd March 2017 at 3.00 p.m. at the Registered Office of the Company at 3, Middleton Street, Kolkata 700 071 to transact the following **Special Business**:

To approve issuance of Debentures on Private Placement basis.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Sections 42, 71 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force)and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, the Insurance Act, 1938 (as amended from time to time), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, applicable regulations and guidelines, Memorandum and Articles of Association of the Company and subject to such other applicable laws, rules and regulations and guidelines, and subject to necessary approvals, permissions, consents and sanctions, approval of the members of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as "the Board")to offer, issue and allot Unsecured, listed and/or unlisted, Redeemable Non-Convertible Debentures including but not limited to subordinated debentures, bonds, and/or other debt securities on a private placement basis, in one or more tranches uptoRs.895 crore (Rupees Eight hundred ninety-five crore).

RESOLVED FURTHER THATfor the purpose of giving effect to any Private Placement of unsecured non-convertible bonds/debentures, the Board or any duly constituted Committee of the Board or such other authority as may be approved by the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the issue, including the class of investors to whom the bonds/debentures are to be allotted, the number of bonds/debentures to be allotted in each tranche, issue price, issue size, timing, tenor, coupon/interest rate(s), premium/discount, amount of issue, listing, issuing any declaration/undertaking required to be included in the Private Placement Offer Letter and to do and execute all such acts, deeds and things under any other regulatory requirement for the time being in force".

By order of the Board
For National Insurance Company Limited

Rina Madia
Company Secretary

Place: Kolkata
Dated: 24th February 2017

Notes:

1. A Member entitled to attend and vote at the Extra-ordinary General Meeting is entitled to appoint another person, whether a Member or not, as his proxy to attend the meeting and vote thereat instead of himself.

2. The instrument appointing a proxy or any other authority, if any, can be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

3. The relevant ExplanatoryStatement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business given in this Notice is annexed hereto.

Annexure to Notice

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

To approve issuance of Debentures on Private Placement basis.

Section 42 of the Companies Act, 2013read with the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 deals with private placement of securities by a company.

Rule 14(2) the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, inter alia, requires that in case of an offer or invitation to subscribe for securities on private placement, the company shall obtain previous approval of its shareholders by means of a special resolution.

In order to meet the additional capital requirement not only to restore the solvency position at the prescribed level but it will also provide the necessary support for the business growth, the Company may offer or invite subscription for securities which may comprise of unsecured, listed and/or unlisted, Non-Convertible Debentures and/or subordinated debt instruments and/or other debt securities or bonds to anybody corporate, institution in such form, manner, tranches on private placement basis, during the period of one year from the date of passing of the resolution uptoRs.895 crore being within the overall borrowing limit of the Company.

None of the Directors or Key Managerial Personnel or any of their relatives is in any way concerned or interested, financially or otherwise in this resolution.

The Board recommends this resolution for the approval of the members as Special Resolution.

By order of the Board
For National Insurance Company Limited

Rina Madia
Company Secretary

Place : Kolkata
Dated: 24th February 2017